फाइल नं0-71-1002/17/2022

संख्या-84/2024/1/562146/2024

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 15 मई, 2024**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ तथा सहारनपुर में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु मानकीकृत एकेडमिक भवन की प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एमई/बजट/2024-25/246, दिनांक 24.04.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ तथा सहारनपुर में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु मानकीकृत एकेडमिक भवन की प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि प्रति नर्सिंग कालेज रू0 666.03 लाख अर्थात् कुल रू0 1332.06 लाख अवमुक्त किये जाने का विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ तथा सहारनपुर में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु मानकीकृत एकेडमिक भवन के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 2082.06 लाख (प्रति नर्सिंग कालेज) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-28-नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख में से परियोजना की प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि रू0 666.03 लाख (प्रति नर्सिंग कालेज) अर्थात् कुल रू0 1332.06 लाख (रू0 तेरह करोड़ बत्तीस लाख छः हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024-बी/1-294-दस/2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5. शासनादेश संख्या-118/2023/I/373173/2023-71-1002/17/2022, दिनांक 22.08.2023 में उल्लिखित शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 13,32,06,000 (रुपये तेरह करोड़ बत्तीस लाख छह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031052800 नर्सिंग कालेजों की स्थापना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024-बी/1-294-दस/2024-231/2024, दिनांक 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ/सहारनपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ/सहारनपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बदायूँ/सहारनपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट कंसट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलमेंट कारपोरेशन, उ0प्र0 (उ0प्र0 समाज कल्याण निगम लि0), लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in